**बिहार सरकार**

**अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग**

स0–4/आ0 वि0 (संधा0)– 01–02/2017– 74

**प्रेषक,**

वीरेन्द्र कुमार (भा0 प्र0 से0)
**निदेशक।**

**सेवा में,**

**जिला कल्याण पदाधिकारी,**
कटिहार।

पटना, दिनांक– 18.10.17

**विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, नीमा, कटिहार के संधारणार्थ संविदा सेवायें, मद में ₹2500000/– (पच्चीस लाख रु0) मात्र की राशि का अतरिक्त आवंटन।**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आवंटनादेश संख्या–09 दिनांक–22.05.2017 द्वारा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 15 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभिन्न मदों में राशि आवंटित की गई थी। जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–1218, दिनांक–02.09.2017, द्वारा माँगी गई अतिरिक्त राशि के आलोक में संविदा सेवायें मद में पुरे वर्ष के लिए कुल **₹2500000/–(पच्चीस लाख रु0)** मात्र की अतिरिक्त राशि आबंटित की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्यय मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0004–आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड संख्या –44–2225012770004 कूट संख्या 28. 02–संविदा सेवायें के अंतर्गत विकलनीय है।

3– इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

4– वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 एवं पत्रांक–एम0–4–05/98–2607/बि(2) दिनांक–20/4/98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

5– व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण उपलब्ध करायेंगे।

6– सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7– आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
**निदेशक।**

ज्ञापांकः–4/आ० वि० (संधा०)– 01–02/2017– 74 पटना, दिनांक – 18.10.17

प्रतिलिपिः–(1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी,/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी,/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त,/संबंधित जिला पदाधिकारी,/संबंधित उप विकास आयुक्त,/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण,/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
18/10/17